

(239)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर, सर्किट  
कोर्ट रीवा (म०प्र०)



1. गीताधर द्विवेदी

RS. 30/-

2. रविनन्दनधर द्विवेदी दोनो के पिता स्व० भुवनेश्वरधर द्विवेदी  
निवासी बरौही तहसील हनुमना जिला रीवा (म०प्र०)

3. धीरधर 4. शंकरधर 5. शेषधर, 6. राजेन्द्रधर 7. ओमधर, 8.  
मिथिलाधर, 09. पारसनाथ 10. राधेश्याम जोगी, 11. माधव  
जोगी, 12. सिद्धनाथ जोगी, 13. बुद्धसेन जोगी, 14. गुलाब  
जोगी, 15. रामसुन्दर जोगी, 16. लोकनाथ जोगी, 17 वंशपति  
जोगी, 18 छत्रपति जोगी, 19. रामलाल जोगी, 20 चिन्तामणि  
जोगी, 21. चन्द्रमणिधर, 22. चन्द्रशेखर धर, 23. गुलाबधर,  
24. मुनीन्द्र धर, 25 रविन्द्रधर तनय श्रीधर सभी निवासीगण  
ग्राम बरौही तहसील हनुमना जिला रीवा (म०प्र०)

-----निगरानीकर्तागण

बनाम्

नारायण धर तनय गोकुलाधर ब्रा० साकिन बरौही तहसील  
हनुमना जिला रीवा (म०प्र०)

-----गैरनिगराकार/अनावेदक

निगरानी बिरुद्ध निर्णय व आदेश  
अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा श्री  
के०पी०राही प्रकरण क्रमांक - 185  
निगरानी/2011-12 निर्णय दिनांक  
5/5/2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50  
म०प्र०भू०रा०संहिता।

*[Signature]*

*[Signature]*

RS 247 II/16

श्री सुरेन्द्र सिंह तिवाड़ी  
द्वारा जमा दिनांक 3-6-16  
प्रस्तुत किया गया।  
सिंडर  
सर्किट कोर्ट रीवा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०R.5247-II/16

जिला-रीवा

गीताधर द्विवेदी/नारायण ब्रा०

(1)	(2)	(3)
23.08.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	